IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

हिंदी के विभिन्न रूप

- एकता केडिया

हिंदी विभाग, शोध-छात्रा,

वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सुरत

प्रस्तावना: हिंदी के विभिन्न रूपों से तात्पर्य है-भिन्न-भिन्न स्थितियों, संदर्भों में हिंदी के भिन्न-भिन्न रूप दिखाई देते हैं। बोलचाल की हिंदी का जो रूप होता है उससे सर्जनात्मक हिंदी का रूप बहुत अलग होता है। कार्यालय में प्रयुक्त हिंदी का रूप तो एकदम भिन्न होता है क्योंकि उसका प्रयोग विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होता है। इसी प्रकार ग्रामीण और नगरीय परिवेश के रूपों में भी भिन्नता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग हिंदी का प्रयोग अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार अनेक रूपों में करते हैं। हिंदी के निम्नलिखित विभिन्न रूप हो सकते हैं।

1.सर्जनात्मक भाषा - सर्जनात्मक भाषा को साहित्यिक भाषा भी कहते हैं। हिदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयुक्ति साहित्यिक है। हिदी की साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा लगभग एक हजार साल पुरानी है। हिदी साहित्य का इतिहास इसका प्रमाण है। जो हिदी साहित्य के साथ-साथ हिदी भाषा के विकास - प्राचीन हिदी, मैथिली, संधा, सधुक्कडी, अवधी, ब्रज, खड़ीबोली -को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। हिदी की साहित्यिक प्रयुक्ति ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, आलोचना आदि विधाओं को उनकी समस्त विशेषताओं एवम् मर्यादाओं के साथ समेटा है। भारतीय आर्य एवम् अनार्य तथा विश्व की अनेक भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करके युगबोध एवम् युग-चेतना को गहराई से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से हिदी की साहित्यिक प्रयुक्ति विशाल, उदार एवम् गतिशील है।

2. राजभाषा- राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है।[१] हिदी भारत की राजभाषा है। इसका स्वीकार संविधान में किया गया है। आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा के मतानुसार-सर कार के शासन-विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं।[२] १४, सितम्बर, १९४९ के दिन हिदी को राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकारा गया था। इसी कारण १४, सितम्बर के दिन को हिदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हिदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारते हुए, वह जहाँ तक अपने प्रकार्य के निर्वाह में पूरी तरह तैयार न हो जाये, इसलिए १९६५ तक अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी, ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया था। १९६३ में हिदी को देश की एक मात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना था किन्तु दक्षिणी भारत में इसका विरोध हुआ परिणाम १९६७ राजभाषा अधिनियम में संशोधन करके अंग्रेजी को आगे तक राजभाषा के रूप में स्वीकार करने नीति अपनाई गई। यही कारण है कि आज देश की दो राजभाषाएँ हैं - हिदी और अंग्रेजी। ये संघ की राजभाषाएँ हैं। हिदी को संघ की राजभाषा का गौरव इस लिए प्राप्त हुआ है कि यह देश की सम्फ भाषा है जिसे देश की अधिकतर जनता आसानी से बोल-समझ लेती है। सम्पर्क भाषा ही राजभाषा बन सकती है। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ निश्चित करने का काम विधायिका (विधानसभा) का है।

जिस भाषा में राज-काज के सारे कार्य होते हों, उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा देश के प्रमुख तीन अंगों - विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की भाषा होती है। अर्थात् जिस भाषा का प्रयोग केन्द्र सरकार के कार्यालयों, संसद तथा देश के कानून के लिए हो वह राजभाषा। यह सामान्य बोल-चाल की भाषा से भिन्न होती है। यह विशिष्ट कार्य-क्षेत्रों की भाषा है। राजभाषा बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, कर्मचारियों तथा शिक्षित समाज से जुडी होती है। इसका महत्व राजनीतिक दृष्टि से अधिक होता है। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, संस्थानों, निगमों, कंपनियों, बैंक, विभिन्न आयोगों एवम् समितियों आदि क्षेत्रों में इस का उपयोग होता है। पारिभाषिक एवम् वैज्ञानिक-तकनीकी शब्दावली, अनुवाद, विशिष्ट वाक्य-योजना एवम् वाक्य-रचना इसके मुख्य तत्व हैं।

आज देश को स्वाधीन करनेवाली राजभाषा हिदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ दासी बनकर रह गई हैं जबकि देश को गुलामी की जंजीरों में जकडने वाली विदेशी भाषा अंग्रेजी रानी बन गई है। इनके मूल में हमारे राजनेता व नौकरशाह हैं।

3.माध्यम भाषा- भाषा विचारों का आदान-प्रदान का माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही विचार या अनुसंधान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक पहुँचते हैं। भाषा के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति होती है। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र के लोग ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, दर्शन, विधि-न्याय का ज्ञान पाते हैं, उसे वहाँ की माध्यम भाषा कहते हैं।

हमारे देश के समस्त प्रदेशों में वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। अर्थात् हरेक प्रदेश की प्रादेशिक भाषा वहीं के शिक्षा का माध्यम है। जहाँ तक हिंदी का प्रश्र है, हिंदी समस्त हिंदी प्रदेशों में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली हिंदी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इन सात प्रदेशों को हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्र कहा जाता है। इस हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में स्वीकारा गया है। इन प्रदेशों में हिंदी माध्यम में शिक्षा दी जाती है, वहाँ प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर तक शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा है। इस प्रकार हिंदी प्रदेशों में शिक्षा की माध्यम भाषा हिंदी है। आज हिंदी में इतिहास, भूगोल, विज्ञापन, साहित्यशास्त्र, भाषाशास्त्र, वाणिज्य, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तकनीक आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजी का बोलबाला होने पर भी इससे स्पष्ट है कि ज्ञान-विज्ञान के अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में अपनाया गया है।

4.मातृभाषा- सभी भाषाओं में मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि होता है। बालक सबसे पहले मातृभाषा सीखता है। इसके लिए स्कूल, शिक्षक और लिपि की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद ही वह अन्य भाषाओं को सीखता है। इस दृष्टि से मातृभाषा प्रथम भाषा है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है- माँ की भाषा, जिसे बालक माँ के सान्निध्य में रहकर सहज रूप में सुनता और सीखता है।हरि बाबू कंसल के सब्दों में– "जो भाषा माता की गोद में स्वाभाविक रूप में सीखी जाती है, वह मातृभाषा है।"[३]इस भाषा को बालक अपने परिवारजनों की बीच रहकर स्वाभाविक रूप से सीखता है। परिवार के दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यकलापों में सहज रूप से प्रयुक्त बोली या भाषा को ही बालक मातृभाषा के रूप में सीखता है। इसी कारण मातृभाषा के साथ उसका आत्मीयता का संबंध और रागात्मक लगाव होता है। बालक का यही वह प्रारंभिक आधार है। जिसके द्वारा उसका भाषाई व्यक्तित्व निर्मित होता है। मातृभाषा ही बालक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, उसके मनोभावों की अभिव्यक्ति तथा निकटवर्ती परिवेश से संपर्क स्थापित करने का प्रारंभिक परंतु अनिवार्य साधन है। वास्तव में मातृभाषा ही व्यक्ति की पहचान है। इसका प्रभाव व्यक्ति के बोलने की क्रिया पर पड़ता है। समाज और उसके सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्ति मातृभाषा के माध्यम से ही अपना अस्तित्व घोषित कर पाता है। वस्तुतः मातृभाषा उसके बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का प्रमुख आधार है। मातृभाषा ही संप्रेषण का प्रारंभिक एवम् प्रभावी माध्यम है। मातृभाषा का मानक रूप ही शिक्षा का माध्यम बनता है। भाषा-कौशलों का विकास सर्वप्रथम मातृभाषा में ही संभव होते हैं।

मातृभाषा के रूप में हिंदी पूरे हिंदी प्रदेश की भाषा है। हमारे देश में प्रांतों का गठन मातृभाषा के आधार पर हुआ है। प्रत्येक प्रदेश के नाम से ही वहाँ की मातृभाषा का बोध होता है। जैसे, गुजराती गुजरात की, मराठी महाराष्ट्र की मातृभाषा है। हिंदी बृहत्तर भारतीय मातृभाषा है। इसकी अठारह बोलियाँ हैं। मूल रूप से ये बोलियाँ वहाँ की मातृभाषाएँ हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी का व्यापक व्यवहार है। हिंदी प्रदेश के लोग मातृभाषा के रूप में हिंदी ही लिखते हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी विश्व की तीसरे नंबर की भाषा है। भारतीय भाषाओं में मातृभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करनेवालों की संख्या सर्वाधिक है। मातृभाषा के रूप में इसका महत्व देखकर ही इसे भारत की संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इस प्रकार हिंदी भारत के विशाल समूह की मातृभाषा है।

5.संचारभाषा– आज का युग संचार माध्यमों का युग है। पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलिविजन, टेलिफोन, इंटरनेट आदि में भी हिदी का उपयोग हो रहा है। संचार माध्यमों में भाषा का लिखित व मौखिक रूप प्रयुक्त होता है। संचार माध्यम दृश्य व श्राव्य होते हैं। पत्र-पत्रिकाएँ दृश्य याने लिखित या मुद्रित रूप में आते हैं। रेडियो श्राव्य है तो टेलिविजन दृश्य एवम् श्राव्य है।जिनमें ध्वनि मुख्य होती है। जबकि इंटरनेट सिर्फ दृश्य माध्यम है। लेकिन इन सभी का उद्देश्य तो सम्प्रेषण करना ही होता है।

संचार माध्यमों में विषयों की कोई सीमा नहीं होती। इसमें कला, साहित्य, खेलकूद, बाजार-भाव, तकनीकी आदि की सामग्री प्रस्तुत की जाती है। इसकी भाषा सामान्य बोलचाल की हिदी होती है। अन्य-अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी मिश्रित हिदी -हिगलीस का प्रयोग भी इसमें होता है। लिप्यंतरण अर्थात् लिपि अंग्रेजी किन्तु उच्चारण हिदी - *क*ा* भी प्रयोग होता है। समाचार पत्रों में शब्दों के संक्षिप्त रूपों का प्रयोग जैसे- भाजपा, बसपा, राजपा, आदि का प्रयोग होता है।

विज्ञापनों का संबंध संचार-माध्यमों से बहुत ही प्रगाढ है। डॉ.सूर्यप्रसाद दीक्षित के मतानुसार–"संचार भाषा में सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है शब्द संवेदना पर। उसी के सहारे विज्ञापन के नारे इतने हृदयस्पर्शी सिद्ध होते हैं।"४ आज का युग उपभोक्ता का है। उत्पादित चीज-वस्तुओं की बिक्री तब होगी जब उपभोक्ता को इसका पता लगे कि ये वस्तुएँ बाजार में आ गयी हैं। इस प्रकार उत्पादक प्रतिष्ठान अपने उत्पादन की बिक्री के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं। जबकि सरकार विज्ञापन का सहारा महत्वपूर्ण सूचना देने या लोगों में जागृति लाने हेतु लेती है। उपभोक्ता को उनके उत्पादन का पता मीडिया या जनसंचार के विविध रूपों में प्रसारित विज्ञापनों से लगता है। ये विज्ञापन दृश्य-श्राव्य व लिखित रूप में होते हैं। आकाशवाणी से प्रसारित होनेवाले विज्ञापन श्राव्य, दूरदर्शन या अन्य टी.वी.चैनल तथा सिनेमा से प्रसारित होनेवाले विज्ञापन दृश्य-श्राव्य, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन पाठ्य तो इंटरनेट से प्रसारित होने वाले विज्ञापन दृश्य-पाठ्य होते हैं। इन्हीं विज्ञापनों के द्वारा उत्पादक कम्पनी विक्रय में वृद्धि करती हैं। यही कारण है कि टी.वी. देखनेवाला व्यक्ति ब्रेक के बाद दर्शक से ग्राहक बन जाता है। ये विज्ञापन उत्पादक प्रतिष्ठान के प्रति उपभोक्ताओं तथा जनता में रुचि व विश्वास पैदा करते हैं।

प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति के रूप में विज्ञापन की भाषा बहुत तेजी से उभरी है। हमारे देश की अधिकतर जनता हिदी समझती है अतः विज्ञापन के क्षेत्र में हिदी की इस प्रयुक्ति का तेजी से विस्तार हो रहा है। विज्ञापनी भाषा का मुख्य आधार आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियाँ हैं। विज्ञापन मुख्य रूप से श्राव्य तो होते हैं। आकर्षक वाक्य-विन्यास, शब्दों का सार्थक चयन तथा प्रवाहमयी भाषिक संरचना इसके मुख्य तत्व हैं। विज्ञापन की भाषा का संबंध मूलतः व्यापार से है। अतः उसमें आकर्षण, मोहकता, लहजेदार भाषा-शैली, कर्णप्रियता, सुपाठ्यता, संक्षिप्तता, सांकेतिकता, नाटकीयता आदि गुण होने चाहिये। जैसे, *१. अन्तर्राष्ट्रीय डिजाइन्स, भारतीय कीमत २. अधिक शक्ति, अधिक आराम, अधिक किफायत (समाचार-पत्र), ३. थोडा ओर चलेगा, ४. ठण्डा - ठण्डा कूल-कूल, ५. ये अंदर वाली बात है (रेडियो-टी.वी.)।* विज्ञापन की भाषा इतनी सक्षम होनी चाहिये की वह जनसंचार के अलग-अलग माध्यमों से (दृश्य, श्राव्य या पाठ के

द्वारा) प्रसारित होने पर भी एक-सा संदेश दे। यही कारण है कि एक ही विज्ञापन अलग-अलग माध्यमों से दृश्य, श्राव्य या पाठ्य के रूप में प्रसारित या प्रकाशित किये जाते हैं। विज्ञापन की भाषा का विशिष्ट रूप सरकारी प्रयुक्ति के रूप में विकसित हो गया है।

निष्कर्षः इस प्रकार हमारा देश जिस प्रकार विभिन्नता में एकता रखता है वैसे ही भाषा के विविध रूप भी देश की विशिष्टता का सूचक है।

संदर्भ-संकेतः

[१] https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/29052/1/Unit-11.pdf,पृ.2
[२] भाषा-विज्ञान की भूमिका, पृ.157
[३] राजभाषा भारती-अक्तूबर-दिसम्बर,1991, पृ.1
[४] संचार भाषा हिंदी-सूर्यप्रसाद दीक्षित,लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद,पृ.17